सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 193/18 **निर्णय दिनांक 11.06.2018**

1. रामेश्वरीदेवी पत्नी श्री बृजलाल जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रामपाल
3. रणवीर कुमार
4. रवि कुमार
5. राजबाला

पिसरान श्री बृजलाल जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 26—10—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः
1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 26—10—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता ने तत्कालीन आवंटन अधिकारी के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय व आवंटन सलाहाकार समिति ने अपीलांट की पात्रता जांचने के पश्चात 25 बीधा अनकमाण्ड कृषि भूमि आवंटन का पात्र माना व आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को चक 10 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 58/31 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीधा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन कर आवंटन पटटा भी जारी कर दिया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन के क्रम में 35 प्रतिशत राशि भी जरिये चालान संख्या 61 दिनांक 08—09—1997 जमा करवा दी गई। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा एक अन्य किश्त भी जरिये चालाना संख्या 62/08—09—1997 राजकोष में जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाने के उपरान्त वादगत् भूमि पर कब्जा भी प्रदान कर दिया गया।

तत्पश्चात् अपीलांट को बिना किसी प्रकार की सूचना व नोटिस दिये अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में निरस्त कर दिया। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। अपीलांट एक गरीब खेतीहर मजदूर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे अन्यथा अन्यत्र भूमि आवंटन की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—1999 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 10—04—2018 को पेश की गयी है। अपील में मियांद कन्डोन करने के लिए सन्तोषप्रद कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपील मियांद बाहर होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को

विवादित भूमि का आवंटन हुआ है किन्तु उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी ना ही बकाया किश्तें जमा करवाई गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—10—1999 को पारित किया गया है जिसके विरुद्व अपील दिनांक 10—04—2018 को पेश की गयी है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसके खण्डन में राज्य पक्ष ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को चक 10 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 58/31 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीधा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि 17320/— जरिये चालान संख्या 61 दिनांक 08—09—1997 जमा करवाई जा चुकी है। इसी क्रम में अपीलांट द्वारा एक अन्य किश्त राशि 1300/— जरिये चालान संख्या 62 दिनांक 08—09—1997 भी राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा नहीं करवाई गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज रिकार्ड है व अपीलांट वादगत् भूमि की बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है।

(4) प्रस्तुत मामलें में चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन करते हुए आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है व मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि व एक अन्य किश्त भी खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। वादगत् भूमि आज भी किसी अन्य को आवंटित न होकर रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। जबकि अपीलांट आज दिनांक को भी बकाया राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट से बकाया राशि नियमानुसार जमा करवाई जाकर आवंटन को बहाल किया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत होगा।

7. अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 26—10—1999 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जात है कि अपीलांट से नियमानुसार बकाया राशि जमा करवाते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर